कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–माध्य/मा–द/अंग्रेजी माध्यम/ब्लॉक/2020–21/ दिनांकः 07/8/2020

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   (मुख्यालय) – माध्यमिक।

2. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
   एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।

विषयः– जिला एवं ब्लॉक स्तर पर संचालित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सत्रः 2020–21 हेतु प्रवेश सम्बन्धी निर्देशों में अतिरिक्त प्रावधान सम्मिलित किए जाने बाबत्।

प्रसंगः– समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांकः 05.06.2020 एवं 17.07.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक निर्देश पत्रों में प्रदत्त निर्देशानुसार वर्तमान में सत्रः 2019–20 में जिला स्तर पर स्थापित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में सत्रः 2020–21 के लिए कक्षा 2 से 9 हेतु रिक्त पदो पर प्रवेश एवं कक्षा–1 हेतु नव प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न हो चुकी है तथा ब्लॉक स्तर पर सत्रः 2020–21 से नवस्थापित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा–1 से 8 हेतु वर्तमान में नवप्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ होकर प्रगतिरत है। उक्त अंग्रेजी माध्यम के समस्त राजकीय विद्यालयों (200 + 5 = 205) में शासकीय निर्देशानुरूप प्रत्येक कक्षा में प्रवेश हेतु पूर्व से निर्धारित सीटों की संख्या में अग्रांकित विवरणानुसार अतिरिक्त प्रावधान सम्मिलित किए जाते हैः–

1. उक्त समस्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा एवं वर्ग में पूर्व निर्धारित सीटों में शिक्षा विभाग राजस्थान के कार्यरत कार्मिकों/अधिकारियों की संतानो एवं सहोदर भाई–बहन को पूर्व निर्धारित सीटों के अतिरिक्त प्राप्त आवेदनों की स्थिति में इस वर्ग (शिक्षा विभाग राजस्थान में कार्यरत कार्मिकों/अधिकारियों) के संतान / सहोदर भाई–बहन के आवेदनों पर प्रवेश दिए जा सकेंगे।
2. शिक्षा विभाग राजस्थान में कार्यरत कार्मिकों /अधिकारियों की संतानो एवं सहोदर भाई–बहन को उक्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रवेश हेतु सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं जिला/ब्लॉक स्तर पर नामित नॉडल अधिकारी (ADEO/ ACBEO-2) अधिकृत एवं उत्तरदायी होंगे। सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं नॉडल अधिकारी समस्त कक्षाओं में नियमित प्रवेश प्रक्रिया के समापन के तत्काल पश्चात् उक्त श्रेणी में प्राप्त आवेदनों के समुचित परीक्षणोपरान्त विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा विभाग राजस्थान में कार्यरत कार्मिकों/अधिकारियों के कार्यरत होने के प्रमाण के रूप में सम्बन्धित के नियोक्ता अथवा सम्बन्धित कार्मिक/अधिकारी का स्वघोषणा पत्र वांछनीय दस्तावेज के रूप में स्वीकार योग्य होगा।

उक्त समस्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व में शासकीय निर्देशानुरूप निर्धारित सीटों एवं इन अतिरिक्त सीटों में प्राप्त आवेदनों एवं प्रवेश की सूचना इस कार्यालय की ई–मेल आईडी **mgges03@gmail.com** पर संलग्न प्रारूप में भिजवाने का श्रम करावें।

:: प्रारूप ::

स्तर : जिला / ब्लॉक

नाम विद्यालय :

मय यू डाईस

जिला :

ब्लॉक :

क्रम संख्या	कक्षा	कुल अध्ययनरत / प्रवेशित विद्यार्थी	शिक्षा विभाग राजस्थान में कार्यरत कार्मिकों / अधिकारियों की संतानो सहोदर भाई–बहनों की श्रेणी में दिए गए प्रवेश
1	2	3	4

समस्त सम्बन्धित द्वारा उपर्युक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना एवं क्रियान्विति सुनिश्चित की जाए।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, प्रथम शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा ।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. वरिष्ठ सम्पादक 'शिविरा', प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर